न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वि. सं.– 13/2019
दायर तिथि– 22.03.2019
तारीख निर्णय – 27.09.2019

प्रार्थी :–
श्री पुष्करदास पुत्र मोहनदास
जाति – साद (वैष्णव)
निवासी – भाचुन्दा, तह. सुमेरपुर जिला – पाली

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सरहद मौजा भाचुन्दा पटवार क्षैत्र भाचुन्दा तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं. 577 रकबा 120 बीघा 3 बिस्वा में से 15 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम आयी हुई स्थित थी, जिसके हाल खसरा नं. 1245 रकबा 2.11 हैक्टर राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी को पुष्करदास पुत्र मोहनदास के नाम से दिनांक 15.07.1967 को आवंटन हुई थी। जो भूमि जरिए नामान्तरणकरण संख्या 57 दिनांक 30.01.1983 को प्रार्थी पुष्करदास पुत्र मोहनदास के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई जिसकी खतौनी सं. 2029–2032 में प्रार्थी पुष्करदास पुत्र मोहनदास के नाम से दर्ज हुई है। जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना के साथ संलग्न है।

(2) कि प्रार्थी के नाम से दर्ज गैर खातेदारी भूमि पुराने खसरा नं. 577 में से 15 बीघा भूमि का दौरान ए सैटलमेन्ट जरिए नामान्तरणकरण संख्या 63 दिनांक 02.02.1983 को खातेदारी दर्ज की गयी जो प्रार्थी पुष्करदास पुत्र मोहनदास के नाम से दर्ज की गयी। जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) कि उक्त गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज होने के बाद दौरान ए सैटलमेन्ट पुराने खसरा नं. 577 से नये खसरा नं. 1245 बनाते समय मिसल बन्दोवस्त सं. 2037 से 2056 एवं उसकी बनी खतौनी सं. 2044–2047 में प्रार्थी के पिता का नाम मोहनदास के स्थान पर अचलदास गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है। जिन राजस्व रेकर्ड प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थी का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व कार्यालय ग्राम पंचायत अनोपपुरा द्वारा जारी पहचान पत्र एवं भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत जबाव इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट जाहिर होता है कि दौरान ए सैटलमेन्ट पुराने खसरा नं. 577 से नये खसरा नं. 1245 बनाते समय मिसल बन्दोवस्त सं. 2037 से 2056 एवं उसकी बनी खतौनी सं. 2044–2047 में प्रार्थी के पिता का नाम मोहनदास के स्थान पर अचलदास गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है। जिसका शुद्धिकरण किया जाना उचित है। जिससे उपरोक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम अचलदास के स्थान मोहनदास दर्ज किये जाने के आदेश पटवारी हल्का भाचुन्दा एवं तहसीलदार सुमेरपुर को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **27.09.2019** को सरेइजलास सुनाया गया।

Scanned by CamScanner